...खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु0न0 93/2023

दिनांकः– 15.09.2023

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

जगन पुत्र गोरधन मीना निवासी जोधपुरा तहसील टोडाभीम।

(सायल)

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र बत्तू मीना
2. गंगा पत्नि बाबूलाल मीना
3. सचिन पुत्र बाबूलाल मीना
4. मन्टूरिया पुत्र बत्तू मीना
5. प्रभू पुत्र बत्तू मीना
6. राजेश पुत्र प्रभू मीना
7. मुनेश पुत्र प्रभू मीना
8. सुगरबाई पत्नि मुकेश मीना

निवासीयान जोधपुरा तहसील टोडाभीम।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकट गैरसायलान

निर्णय — दिनांक 29 .05.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जोधपुरा की आराजी ख0न0 395/0.15, 396/0.17, 398/0.30 कुल किता 3 कुल रकवा 0.62 है0 मे सायल 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। जो पूर्व मे जिन्सी, जयनारायण, जयलाल पि0 सावलिया के नाम रही है जिन्सी व जयलाल फौत हो चुके है। जिन्सी तथा जयलाल के जो वारिस है वो उनके तर्के पर काबिज एवं दखील है जयनारायण द्वारा अपना 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सायल को बेचान कर कब्जा करा दिया। उक्त हिस्से पर सायल काबिज एवं दखील है तथा मौके पर ख0न0 396/0.17 है0 सहित 0.21 है0 पर काबिज है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार है अपने हिस्सेनुसार काबिज है अन्य सहखातेदार से सायल का कोई विवाद नही है।

यह है कि बॉका दिनांक 27.8.2023 का है कि सायल अपनी हिस्से की आरजी मे सूल बबूल साफ कर रहे थे कि गैरसायल आये तथा सायल से बोले की तुम इस आरजी मे यह क्या कर रहे हो इस पर सायल ने गैरसायल से कहा कि ये जमीन मेरे नाम है मेरे हिस्से व कब्जे मे है। मे ही काश्त कर रहा हूॅ। इतने मे गैरसायल नाराज हो गये तथा कहने लगे कि हम तो इस आराजी से तुम्हे बेदखल करके रहेगे तथा तुमको काश्त नही करने देगे तथा तुमने कोई कानूनी कार्यवाही की मो तुमको गांव से भगा देगे तथा समस्त आराजी पर कब्जा कर लेगे इस प्रकार गैरसायल अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्टा मे कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। प्राईमाफेसी केश सायल के पक्ष मे साबित है। अगर अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] नही होने से सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:26:09 IST
Reason: Self Attested

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] निवेदन है कि गैरसायल[illegible] ता फैसला दावा इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि वे अ[illegible]ी ख0न0 395/0.15, [illegible].17, 398/0.30 कुल किता 3 कुल रकवा 0.60 है0 मे सायल की खातेदारी हिस्से व कब्जे काश्त की

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

आराजी ख0न0 396/0.17 मे मजाहमत मदाखलत नही करे, नाही किसी अन्य से करावे, मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान बाबजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

सायल वकील की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी कुल किता 3 कुल रकवा 0.62 है0 मे सायल 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। जो पूर्व मे जिन्सी, जयनारायण, जयलाल पि0 सावलिया के नाम रही है जिन्सी व जयलाल फौत हो चुके है। जिन्सी तथा जयलाल के जो वारिस है वो उनके तर्के पर काबिज एवं दखील है जयनारायण द्वारा अपना 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सायल को बेचान कर कब्जा करा दिया है। जिस पर सायल काबिज एवं दखील है तथा मौके पर ख0न0 396/0.17 है0 सहित 0.21 है0 पर काबिज है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार है अपने हिस्सेनुसार काबिज है अन्य सहखातेदार से सायल का कोई विवाद नही है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति नही होकर सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करने हेतु पाबन्द किया जावे।

सायल वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम जोधपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के ख0न0 ख0न0 395/0.15, 396/0.17, 398/0.30 कुल किता 3 कुल रकवा 0.60 है0 मे सायल 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताबिक जमाबन्दी अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। गैरसायलान बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने से प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे साबित है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसमे गैरसायलान को किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति नही होगी। उक्त विवेचन से सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः ग्राम जोधपुरा की आराजी ख0न0 395/0.15, 396/0.17, 398/0.30 कुल किता 3 कुल रकवा 0.60 है0 मे गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। सायल की खातेदारी के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 396/0.17 है0 मे ता दावा फैसला मजाहमत मदाखलत नही करे, नाही किसी अन्य से करावे।

निर्णय आज दिनांक 29 .05.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:26:09 IST
Reason: SelfAttested